



2026:AHC:16701

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 44036 / 2025

दाऊद

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षगण

आवेदकगण के अधिवक्ता

:ममता जयसवाल, सुनील कुमार तिवारी

विपक्षी पक्षगण के अधिवक्ता,

: शासकीय अधिवक्ता,

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुनील कुमार तिवारी तथा राज्य की ओर से श्री अरिमर्दन यादव, विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत आवेदक दाऊद की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसे मुकदमा अपराध संख्या 0383 सन् 2025, धारा 8/20(b)(ii)(c)/29 नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985, थाना पल्लवपुरम, जनपद मेरठ में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक के कब्जे से 20 किलोग्राम 663 ग्राम गांजा की बरामदगी दर्शाई गई है, जबकि वास्तव में कोई बरामदगी नहीं हुई है। यह भी कहा गया कि कथित बरामदगी स्वतंत्र गवाहों द्वारा समर्थित नहीं है, जिससे आवेदक के विरुद्ध झूठे फँसाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का विधिवत पालन नहीं किया गया है तथा रासायनिक विश्लेषक (केमिकल एनालिस्ट) की कोई रिपोर्ट अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे अनावश्यक उत्पीड़न हेतु इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त साहिल को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12.01.2026 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 43770 वर्ष 2025 में जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक दिनांक 17.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित है। यह भी आश्वासन दिया गया कि जमानत पर रिहा होने पर आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु यह प्रस्तुत किया कि समान परिस्थितियों वाले उपर्युक्त सह-अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जमानत प्रदान की जा चुकी है।

वाद के तथ्यों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक सिद्धांत, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में संभावित दण्ड की गंभीरता, अभियुक्त-आवेदक के चरित्र, उससे संबंधित विशेष परिस्थितियाँ, विचारण के दौरान उसकी उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने की संभावना, गवाहों के प्रभावित होने की आशंका, राज्य/समाज के व्यापक हित एवं अन्य समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि यह जमानत प्रदान किए जाने का उपयुक्त मामला है।

अतः जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, अभियुक्त-आवेदक दाऊद को उपर्युक्त वाद अपराध में इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वह न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समरूप धनराशि का निजी मुचलका एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करेगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ—

1. आवेदक जांच या विचारण के दौरान अभियोजन साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा गवाहों को किसी प्रकार से डराए-धमकाए या दबाव में नहीं लेगा।
2. आवेदक विचारण में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा और अनावश्यक स्थगन नहीं मांगेगा।
3. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा तथा कोई अपराध नहीं करेगा।



उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा। आवेदक एवं उसके जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास प्रमाण पत्रों का सत्यापन, बंधपत्र स्वीकार करने से पूर्व, संबंधित न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

दिनांक : 19 जनवरी, 2026

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव,)

Translated Version. Not For Legal Use.